

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/102921/KPN/KANPUR NAGAR/2756/CFO

दिनांक : 18-12-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **R K EDUCATION CENTRE** पता **ARAJI NO 2123 MAHARAJPUR, G T ROAD, KANPUR NAGAR** तहसील - **NARVAL** प्लॉट एरिया **933.77 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1867.54** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें -

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या | बेसमेंट की संख्या | ऊँचाई    |
|------------|-----------------------------------|-------------------|----------|
| BLOCK A    | 2                                 | 0                 | 7.30 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **R K EDUCATION CENTRE** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **30-03-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAM KUMAR YADAV E-Mail ID : h.rkgalaxy91@gmail.com Mobile No. : 961666651** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओसीओ की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **30-03-2025** से **29-03-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **R K EDUCATION CENTRE**

अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **R K EDUCATION CENTRE** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखाई, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

**Note :** प्रभारी अग्निशमन अधिकारी-Jajmau की स्वतंत्र निरीक्षण आख्या के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन **NBC-2005 & 3080** अग्निशमन तथा जाघात सेवा अधिनियम 2022, नियमावली-2024 के अनुसार एनओसीओ निर्गत किया जा रहा है:- 1. जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2. फायर उपकरणों का वार्षिक एनओसीओ/मरम्मत अहॉ एग्जेंसी से कराया जाये। 3. विद्युत सुरक्षा निदेशालय से विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा। 4. यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

निर्गत किये जाने का दिनांक : **30-03-2025**  
स्थान : **KANPUR NAGAR**



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**DEEPAK SHARMA**

**0294717EED02F25868824805D6D9135AD528C0BF**

30-03-2025

*Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.*

**PRINCIPAL**  
**R.K. EDUCATION CENTRE**  
**G.T. ROAD, MAHARAJPUR**  
**KANPUR**